mic. Communications are not as good as they should be. As I said, no problem is insoluble but we must assure that no one should incite people or to inflame the situation or even, I would say, to lay blame because at this moment if we blame anybody that may complicate the situation. Without naming any parties, I should like to say that some very serious allegations have been made against some parties. We do not want any of these things to be talked about because our major interest is how to defuse the situation, how to calm down the people, how to meet their genuine fears and how to see that there no injustice is done.

Different sections of the people are calling different people foreigners. So, who should be called a foreigner, is a matter which we have to decide Obviously, people who have lived for years, have voted, have struggled with us, have shared our joys and sorrows cannot suddenly be termed foreigners. If there are any real foreigners, certainly we should decide what should be done, if they want *to* stay in India, they should be rehabilitated; if Assam does not want them, we have to consider other places. So there are many aspects of the problem. I can assure the House of our deep concern and that we are in constant touch and we are trying to have a meeting as soon as possible so that we can have the ideas of different sections on the various matters. Thank you, Sir.

SHRI DINESH GOSWAMI: I am very happy that Hon'ble Prime Minister has intervened. Is Hon'ble Prime Minister contemplating any visit to Assam because I feel that a visit by her will definitely help in easing the problem to a great extent?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: The hon. Member knows that I was the first person to rush to Assam whenever there was any trouble previously, whether linguistic riots or any other incident I certainly want to go and meet the people there. I think the Hon'ble members will appreciate that during these days of Parliament it is not possible far me to leave Delhi.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The subject we are discussing is a very important one. But I would like to be guided by the House on how we should proceed. There are a large number of hon Members who want to speek and I think rightly so. I find we have the Constitution (Amendment) Bill to be seen through today. We can do it in two ways. One is, we take up the Constituent (Amendment) right now, dispose it off and then resume the discussion on the Calling Attention.

SOME HON. MEMBERS: Yes.yes. yes.

MR DEPUTY CHAIRMAN: I think we will do that. We will sit as long as the House desires.

SHRI BHUPESH GUPTA: When will the special mention come?

MR, DEPUTY CHAIRMAN: After the Calling Attention.

THE CONSTITUTION (FORTY FIFTH AMENDMENT) BILL, I0

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Home Minister to move the Bill-

गृह मंत्री (ज्ञानी जैल सिंह): उपसभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाय।"

The question *was proposed.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is an amendment. Shri B. P. Maurya,

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA (Andhra Pradesh): Sir, I move . . •

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please Introduce only at this stage. The speech will come later.

I am told that the hon Member, Shri Mauryₐ has not given the names of the Members of the Select Committee. I do not think it is a difficult exercise for him to do so. But you can take part in the debate in any ease.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: Can I submit, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Yes.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: I will give the names later.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The motion will be incomplete without the names. It is a technical point. But it is there.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): That is nothing because Mr. Maurya can say that it js his motion and that he is the Select Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Well, now we have the hon. Home Ministers motion before us. It is now-open for discussion. Shri Surendra Mohan.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : इस पर बहस होने के पहले इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, संविधान में हिन्दू धर्म को बताया गया है

3.00 P.M.

आर्टिकल 25 में और उसमें बुद्धिस्ट, जैन और सिख तीनों ही आते हैं। आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया है, शैड्यूल्ड कास्ट आर्डर 1950 जिस समय बना था उस समय श्रीमन्, केवल एक शब्द था 'हिन्दू' पैरा 3 में, सिर्फ 'हिन्दू' शब्द का इस्तेमाल किया गया था और जब तक 'हिन्दू' शब्द का इस्तेमाल किया गया था इसका अर्थ यही निकाला जा रहा था कि जो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग सिक्ख हो जायेंगे, जो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग बुद्धिस्ट हो जायेंगे उनको भी यह सुविधा मिलती रहेगी क्योंकि शैड्यूल्ड कास्ट का जो आर्डर है 1950 का उसके पैरा 3 में 'हिन्दू' शब्द का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से 1956 में शैड्यूल्ड कास्ट आर्डर का अमेंडमेंट हो गया और उसमें 'हिन्दू' शब्द के साथ-साथ 'सिक्ख' शब्द भी पैरा 3 में जोड़ दिया गया। इस 'सिक्ख' शब्द के जोड़ने के बाद कुछ परेशानियां पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन दे दिया कि चूंकि लेजिस्लेटर्स का यह इरादा है कि केवल शैड्यूल्ड कास्ट के वे लोग जो सिक्ख हो जायें उनको भी यह सुविधा मिले, इस लिए 'हिन्दू' शब्द के साथ उन्होंने 'सिक्ख' शब्द को जोड़ा है। अगर यह 'सिक्ख' शब्द न होता तो चाहे कोई शैड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर सिख हो जाय या बुद्धिस्ट हो जाय उसको भी यह सुविधा मिलती। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग शैड्यूल्ड कास्ट के सिक्ख हो जाते हैं तो उनको यह सुविधा मिलती है क्योंकि सिक्ख धर्म भी छुआछूत में विश्वास नहीं करता। पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने उस समय बहस का जवाब देते हुए कहा था कि जो धर्म अनटचेबिलिटी में विश्वास नहीं करते हैं उनमें शैड्यूल्ड कास्ट नहीं माने जायेंगे। सिक्ख धर्म भी अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करता और बौद्ध धर्म भी नहीं करता। बल्कि सिक्ख धर्म में जाने पर तो उस व्यक्ति में तब्दीली आ जाती है जब शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी सिक्ख धर्म में जाता है तो उसे केश रखने पड़ते हैं, वह बहादुर हो जाता है, बुद्धिस्ट होने पर उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लगातार 25 वर्षों से, जब से बाबा साहेब अम्बेदकर ने धर्म-परिवर्तन किया बहुत बड़ी तादाद में शैड्यूल्ड कास्ट के लोग बुद्धिस्ट हुए लेकिन उनको सुविधायें नहीं मिल रही हैं। यह अनर्थ हो रहा है। मेरी व्यवस्था है कि शैड्यूल्ड कास्ट के लिए जो 10 साल के लिए पहले रिजर्वेशन रखा गया था, जिसको बाद में 20 साल, फिर 30 साल किया गया, और अब उसको 40 साल करने जा रहे

हैं, जब समय आयेगा मैं विस्तार से इस पर तब बोलूंगा, लेकिन जो सुविधायें लगातार इतने वर्षों से उनको मिलनी चाहिए थीं उनको सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। क्या गृह मंत्री जी इस अमेंडमेंट के जरिये इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयत्न करेंगे कि जो अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है कि जो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग सिक्ख हो जाते हैं उनको सुविधायें मिलती हैं लेकिन जो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग बुद्धिस्ट हो जाते हैं, जो हिन्दू धर्म में चलते हैं उनको सुविधायें नहीं मिलती ? जो शैड्यूल्ड कास्ट का आर्डर पहले था उसके पैरा 3 में अपने आप उसको वह सुविधायें मिल जाती थीं, उसमें 'सिक्ख' शब्द को काट दिया जाए तो वह सुविधायें उनको मिलेंगी। एक पोलिटिकल प्रेशर सिक्ख नेताओं ने डाला जिसके कारण वह 'सिक्ख' शब्द जोड़ा गया था। अगर 'सिक्ख' शब्द जोड़ा गया है तो उसमें 'बुद्धिस्ट' शब्द भी जोड़ा जाए क्योंकि इससे शैड्यूल्ड कास्ट का अनर्थ हो रहा है। श्रीमन्, मुझे केवल यही निवेदन करना है।

श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, अभी जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है यह तो सुझाव दिया गया है जो माननीय सदस्य अपने भाषण में भी दे सकते थे। इस लिए मैं नहीं समझता कि इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है। इसको प्वाइंट आफ आर्डर के रूप में नहीं उठाया जा सकता है। *(Interruptions)*

श्री बुद्धि प्रिय मौर्य : श्रीमन्, ... *(Interruptions)* चेयर को अपनी व्यवस्था देने दीजिए। उसमें व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिन शड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए आप सुविधायें 40 साल के लिए बढ़ाने जा रहे हैं उनमें से जो लोग बुद्धिस्ट हो गये हैं उनको 25 साल से ये सुविधायें नहीं मिल रही हैं। . . . . . मेरा निवेदन यह है कि आप जो 40 साल के लिए संरक्षण करने जा रहे हैं उनमें से जिन शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं उनके लिए आप ये सुविधायें दें, यह मेरा निवेदन है।

SHRI S W. DHABE (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I have an amendment on this ooint and the amendment has been given. by me, that the Buddhist converts from the Scheduled Castes should be included in the definition by amending the concerned article.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : श्रीमन् मेरा भी अमेंडमेंट है। *(Interruptions)*

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : वह तो बाद में आयेगा।

श्री उपसभापति : जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य श्री मौर्य ने उठाया है वह अपने हिसाब से और अपने विचार में काफी महत्व-पूर्ण है लेकिन जो विधेयक हमारे सामने है उसमें व्यवस्था के कारण इसे उठाया नहीं जा सकता। क्योंकि जो हमारे पास विधेयक है उसकी परिधि सीमित है इसके अन्तर्गत ही हम इस पर विचार करेंगे। आपके विचार हैं आपने रखें। समय आएगा तो आप उस पर बोल सकते हैं इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकृत करता हूं। श्री सुरेन्द्र मोहन।

श्री सुरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उप-सभापति जी, यह एक अवसर आया है और ऐसे अवसर बार-बार आयेंगे। यह एक ऐसा अवसर है जब कि इस सदन के सभी पक्षों के सदस्य सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करना चाहते हैं। लोक सभा में भी ऐसा हुआ और मैं यह मानता हूं कि जितने भी राजनीतिक दल इस देश में हैं उन सभी ने अपने चुनाव मसौदे तैयार किये हैं उन चुनाव मसौदों में उन्होंने यह कहा था कि इस संशो-धन को मंजूर किया जाएगा। यह गर्व की बात है कि हम सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि जो दुर्बल समुदाय हैं उनके आरक्षण के लिये, उनके प्रोत्साहन के लिये, उनकी उन्नति के लिये जो कार्य हम कर सकते हैं हमको करना चाहिये। यह एक गर्व की बात है कि हम पूरे राष्ट्र की प्रतिबद्धता, अपनी प्रतिबद्धता इस

[श्री सुरेन्द्र मोहन]

बात के लिये आपके सामने और पूरे देश के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जहां हम इस बात को मंजूर कर रहे हैं कि हम इस संशोधन विधेयक को स्वीकृत करें और यही एक ऐसा विधेयक है दुर्बल समुदाय के बारे में जिसको हम सभी प्रकार से कार्यान्वित कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं वहां अगर आप दुर्बल समुदाय के संबंध में बने हुए अन्य नियम, अधिनियम, विधेयक हैं उनको देखें तो वे केवल कागज पर ही दिखाई देते हैं उनको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मान्यता नहीं दे पाये हैं। इसलिये और भी ज्यादा जरूरी है कि इसको हम मंजूर करें।

जब संविधान बना था तो संविधान बनने से पहले एक समिति का गठन हुआ था। उस समिति ने दुर्बल समुदाय--अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में एक जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी और यह पाया था कि शिक्षित तौर पर पिछड़ापन, आर्थिक तौर पर शोषण इन लोगों के हिस्से में आया है। इसलिये राजनीतिक तौर पर इनको आरक्षण देना अनिवार्य है। इसी के आधार पर यह 334 आर्टीकल बनाया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि बार-बार हम लोग उनको ज्यादा आरक्षण देने की कोशिश करते हैं और उनको दे रहे हैं लेकिन क्या यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात नहीं है कि 10 साल गुजर गये, 20 साल गुजर गये, 30 साल गुजर गये फिर भी हम बार-बार यह महसूस करते हैं कि जो दुर्बल समुदाय है उनको न्याय मिले और हम सब प्रयास करने के बाद भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। उनको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। चाहे आप सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात ले लीजिए आप देखेंगे कि जितने आरक्षण के वायदे किये जाते हैं वे पूरे नहीं होते। यह किसी दल विशेष की बात नहीं है। यह जिम्मेदारी हरेक राजनीतिक दल की है। यह जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र की है। यह हमारी सब की जिम्मेदारी है कि दुर्बल समुदाय के प्रति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति जो भी वायदा किया जाए न्याय दिलाने का उसको पूरा किया जाए। यदि यह न्याय दिलाने का वायदा हम सब मिलकर पूरा करेंगे तो हम शायद काफी आगे बढ़ सकते हैं।

आप शिक्षा की बात लीजिए। यह कहते हुए हमें तकलीफ होती है कि उन लोगों की संख्या, जो सन् 1961 में 10वीं जमात पास करके छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे थे 1971 की संख्या के मुकाबले उस प्रगति के साथ नहीं बढ़ी है जिस प्रगति के साथ आबादी की दर बढ़ी है। पढ़ाई की बात ले लीजिए। जो लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं खासकर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, उनकी तादाद 45 प्रतिशत से ज्यादा होती है। उन लोगों की बात ले लीजिए जो भूमि पर काम करते हैं लेकिन जिनके पास बहुत थोड़ी धरती होती है। परिस्थिति यह है कि सन् 1961 में ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास थोड़ी धरती थी लेकिन आम तौर पर हरिजन थे उनकी संख्या 16 परसेंट थी उनकी संख्या 1971 में 25 परसेंट हो गई और 1977 में वह 30 परसेंट तक बढ़ गई। आज आप रोजगार देने की बात को ही ले लीजिये। बेरोजगारी के आंकड़ों को अगर आप देखें तो आप को इस बात का अन्दाजा होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इन आंकड़ों को देखने से एक भयानक परिस्थिति हमारे सामने आती है। इन बेरोजगारी के आंकड़ों से यह बात भी सामने आती है कि आम तौर पर बेरोजगारी अनुसूचित जातियों और जन-जातियों में ज्यादा बढ़ती जा रही है। जंगल के कानून को ही ले लीजिये। आदिवासियों को जंगल के कानून के सम्बन्ध में विभिन्न आरक्षण दिये गये हैं। लेकिन वे लोग इन आरक्षणों का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

ऐसा लगता है कि शायद ठेकेदार या सरकारी अफसर इन आरक्षणों का फायदा उठा लेते हैं। मेरा ख्याल है कि केवल यही संविधान संशोधन विधेयक ऐसा है जो दुर्लतर समुदाय के सम्बन्ध में, हरिजनों के सम्बन्ध में और आदिवासियों के सम्बन्ध में बना है जिससे उन लोगों को कुछ फायदा होता है। लेकिन उस संशोधन में कोई ऐसी गारण्टी नहीं है कि जिससे उनकी स्थिति में शीघ्र कोई सुधार आ सके। आपने छूआछूत के सम्बन्ध में कानून बनाया है और संविधान में इसकी व्यवस्था की है, लेकिन उससे कितने हरिजनों और आदिवासियों को फायदा होता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। हम देखते हैं कि हम लोग शब्द जाल में अपने आप को बांध लेते हैं। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमारी कथनी और करनी में बड़ा भेद रहता है। इसका कारण यह है कि इस समाज में कुछ बुनियादी परिवर्तन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं जिनसे हरिजनों और आदिवासियों को कुछ मिल सके। भूमि सुधार की बात को ही ले लीजिये। हमारे देश में 23 प्रतिशत लोगों ने 76 प्रतिशत धरती पर कब्जा कर रखा है और वे इस धरती के मालिक हैं। इसके मुकाबले 74 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास 20-22 प्रतिशत भी धरती नहीं है। इनमें ज्यादातर हरिजन और आदिवासी हैं। हमारे देश में 48 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ धरती से ज्यादा धरती नहीं है, बल्कि अगर मैं यह कहूं कि एक एकड़ से भी कम भूमि है तो यह गलत नहीं होगा। इनमें ज्यादातर हरिजन और आदिवासी लोग हैं। भूमि सुधारों के कानून से अभी तक इन लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। मैं समझता हूं कि जब तक भूमि सुधारों के सम्बन्ध में ठोस रूप से कोई काम नहीं होगा तब तक हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है।

आमतौर पर यह देखा जाता है और सब लोग इस बात को जानते हैं कि चाहे हरिजन हों या आदिवासी हों, उनके खिलाफ विभिन्न जातियों के लोगों और वर्गों द्वारा अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है। जब इन कमजोर वर्ग के लोगों में सामाजिक चेतना बढ़ती है और वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को और उनकी आकांक्षाओं को खत्म करने का प्रयास किया जाता है और उनके ऊपर अत्याचार किये जाते हैं। यह एक अजीब बात है कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा इन लोगों पर जुल्म किये जाते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि सरकार की तरफ से और पूरे राष्ट्र की तरफ से उनका प्रतिकार करने और उन अत्याचारों को दूर करने की जिम्मेदारी दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में जब तक हम लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं और आने वाले 10-20 सालों में भी इन लोगों पर अत्याचार होते रहेंगे और सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से पिछड़े वर्गों को हम अपमानित करते रहेंगे। इसलिए जहां मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं, वहां मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूं कि हमारा पूरा राष्ट्र इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और इन लोगों को समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाना चाहिए।

बार-बार यह बात कही जाती है कि तमाम प्रयासों के बावजूद इन लोगों

[श्री सुरेन्द्र मोहन]

की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में पिछले कुछ समय से आरक्षण के विरोध में आन्दोलन चलने लगे हैं। इन आरक्षण विरोधी आन्दोलनों को कौन चला रहा है, यह बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी राजनैतिक दल जान-बूझ कर इन आन्दोलनों में शामिल न हो रहा हो, किन्तु कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन आन्दोलनों को बढ़ावा दे रहे हों। आप जानते हैं कि हर एक राजनैतिक दल आरक्षण चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से गरीब लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता है और जो ऊंची जाति के होते हैं उनकी भावनाओं को उभारा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपको इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके लिए नौकरियों में आरक्षण नहीं हैं। हमें इस प्रकार की सभी बातों का मुकाबला करना होगा। हमें उन सब लोगों को जो गरीब हैं, जिनके साथ सदियों से अन्याय होता रहा है, सामाजिक अन्याय होता रहा है, आर्थिक अन्याय होता रहा है उनको उपर उठाना होगा और उनको उनके अधिकार देने होंगे। उनको हमें वरीयता देनी पड़ेगी और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमको ऐसे सभी वर्गों में सामाजिक चेतना को लाना होगा, इसके बिना यह आरक्षण विरोधी भावना को कम करना मुश्किल होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मराठवाड़ा में क्या हुआ? केवल मराठवाड़ा की बात नहीं है। आज हमारे देश में यह स्थिति नहीं है कि विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में जितना प्यार होना चाहिए, जितनी ममता होनी चाहिए, वह हो। इसलिये हमको इनमें ज्यादा और ममता पैदा करने की कोशिश करनी है। लेकिन वह तभी होगा जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ बढ़ायेंगे, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे, शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करेंगे। जो लोग सदियों से, 50 फीसदी से ज्यादा लोग न जाने कितने वर्षों से सत्ता के दुर्ग से बाहर रहे, शिक्षा के दुर्ग से बाहर रहे, पूंजी के दुर्ग से बाहर रहे उन लोगों को इन दुर्गों के अन्दर लाया जाये, उनका प्रवेश यहां कराया जाये। जब तक इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे तब तक उनके साथ अन्याय ही बढ़ता रहेगा। दुर्भाग्य से जो लोग अन्याय के भागीदार थे उनके मन में यह दुर्भावना बढ़ती रही है। तो इन सवालों का हल बुनियादी तौर पर निकालना होगा। जब तक इन प्रश्नों का बुनियादी हल नहीं निकलेगा तब तक मुझे ऐसा लगता है कि वैमनस्य की भावना बढ़ेगी। अगर हिन्दुस्तान में रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ते हैं तो यह वैमनस्य की भावना कम होगी। अगर हिन्दुस्तान में पूंजी का ज्यादा बंटवारा होगा तो लोगों में ज्यादा प्यार पैदा होगा। अगर समता पैदा होती है तो उससे सौहार्द्र पैदा होगा। उपसभापति महोदय, सौहार्द्र समता और स्नेह तभी ज्यादा देश में बढ़ने लगेगा यदि हम रोजगार के ज्यादा अवसर दें। एक और बात की भी जरूरत है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें। यह नहीं हो सकता कि सत्ता कुछ लोगों के हाथों में रहे। वह चाहे केन्द्र में हो, चाहे राज्यों में और चाहे किसी गांव में; जहां सत्ता का केन्द्रीकरण होता है वहां उसमें उन ही लोगों का हाथ होता है जिनके पास सम्पत्ति होती है, जिनके पास पूंजी होती है और जिनके पास शिक्षा होती है। अगर सम्पत्ति, पूंजी और शिक्षा वाले ही लोग सत्ता में रहेंगे तो जो हजारों को

संख्या में दुर्बलतर समुदाय के लोग हैं वह सत्ता से वंचित रहेंगे और न्याय से भी वंचित रहेंगे। उनको न्याय देना हो, उनको समता देनी हो तो सत्ता को उनके कदमों के नजदीक ले जाना पड़ेगा और इसके लिये आप पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनायें, पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार दें और उनको अधिकार देने के साथ-साथ जो दुर्बलतर समुदाय के लोग हैं उनके प्रतिनिधियों को ज्यादा स्थान दिये जायें। आज दुर्बलतर समुदायों, हरिजनों और आदिवासियों के अन्दर विश्वास पैदा नहीं होता इसका कारण यह है कि जहां भी उनके खिलाफ़ जुल्म होता है उस जुल्म का उचित प्रतिकार नहीं होता। मैं किसी पार्टी विशेष के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं परन्तु पिछले दो महीनों में हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं उसकी कहानी सबको विदित है लेकिन उसका कोई प्रतिकार नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि शायद हम लोग वोट लेने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं उनको न्याय देने में दिलचस्पी नहीं रखते और महोदय, मुझको यह कहने की इजाजत दीजिए कि इसमें हम सब बराबर के अपराधी हैं, इसके लिये यह पूरा राष्ट्र जिम्मेदार है जिसको हमें मंजूर करना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि यदि उसके साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय का प्रतिकार किस प्रकार हो सकता है। यदि जहां पुलिस फ़ोर्स है और वह अगर काम नहीं करती है तो वहां पर स्पेशल पुलिस फ़ोर्स होनी चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म हो, दुर्बलतर समुदाय के लोगों के साथ जो जुल्म हो वह उसका निराकरण कर सके। इसके साथ ही कुछ प्रभावी प्रतिनिधि जो इन वर्गों से हैं उनको स्पेशल पुलिस फ़ोर्स में ऐन्टी रायट पुलिस फ़ोर्स में स्थान दिया जाये। ये कुछ ऐसे काम हैं जिनके बिना हमको यह डर है कि दुर्बलतर समुदाय न केवल दुर्बलतर रहेंगे बल्कि वे दुर्बलतम बन जायेंगे। इससे हिन्दुस्तान में एक ऐसा आक्रोश, एक ऐसी अशांति पैदा होगी जिसके कारण हमारा लोकतन्त्री ढांचा खतरे में पड़ जायेगा। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के 50 फ़ीसदी से ज्यादा लोगों को गरीब रखकर, सत्ता से हीन रखकर, शिक्षा से दूर रखकर, जहां के लोग अपने अधिकारों को समझते हैं, वहां आप न शांति व्यवस्था कायम रख सकते हैं, न कानून कायम रख सकते हैं और न लोकतन्त्र की रक्षा कर सकते हैं। इस सब के लिये जरूरत है समता और स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में हम ज्यादा से ज्यादा स्नेह पैदा करें। जो लोग आज इस आक्रोश से पीड़ित हैं उनको काम नहीं मिलता और वे समझते हैं कि हमें काम इसलिये नहीं मिलता क्योंकि एक खास वर्ग के लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है। उनको भी आपको साथ में लेना होगा। उनको साथ में लेने के लिये उनको समझाने की भी जरूरत होगी, उनका प्रतिरोध करने की भी जरूरत होगी। मेरा निवेदन है कि रोजगार के अवसरों को ज्यादा बढ़ाकर इसका प्रतिकार किया जा सकता है। समाज में न्याय को परिष्कृत करके, इसको ज्यादा अच्छी तरह से स्थापित करके इसको किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं। हमारे आदरणीय मित्र श्री मौर्य जी ने एक सवाल उठाया था और उस सवाल में काफ़ी वजन है। सवाल यह है कि सरकार का इस सन्दर्भ में क्या रुख है? मैं यह मानता हूं कि सरकार को इस पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, गलत भी हो सकती है, जब अभी हमारा पुराना मन्त्रिमण्डल था, कोलीशन गवर्नमेंट थी

[श्री सुरेन्द्र मोहन]

तो गृह मन्त्री श्री चव्हाण जी ने कुछ व्यवस्था इस सन्दर्भ में की थी। वह व्यवस्था यह थी कि जो हरिजन ऐसे हैं जो कि बौद्ध हो गए हैं उनको कुछ सहूलियतें दी जाएं। कितनी सुविधाएं दी जाएं, आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसके सन्दर्भ में हम सरकार की नीति जरूर जानना चाहते हैं। इसके साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो हरिजन हिन्दू न हो कर अन्य धर्मों में गए हैं उनको आरक्षण न भी दें तो यह बात सही है कि उनके धर्म के परिवर्तन हो जाने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जाती। उनको अगर बैकवर्ड क्लास के तौर पर या किसी तरह जो भी सुविधाएं, सहूलियतें हम दे सकते हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि चव्हाण साहब के सम्बन्ध में एक बात है, इसलिए मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि सही स्थिति क्या है? आदरणीय गृह मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं वे पुरानी फ़ाइलों के आधार पर या जो आज की स्थिति है उसके आधार पर यह बात बता सकते हैं कि वे इस सन्दर्भ में क्या क्या कदम उठाना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फ़िर अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से इस संविधान संशोधन का समर्थन करता हूं।

SHRIMATI MARAGATHAM CHANDRASEKHAR (Nominated): Mr. Deputy Chairman^ Sir, may I first congratulate the Home Minister for having given priority to this Constitution Amendment Bill which is long overdue? The other Governments which preceded us earlier could have brought this Bill much earlier. And I am quite sur$_e$ that the concerned Department or the Secretariat might have reminded them or might have pointed out the urgency of the Bill. But for the timely action taken by the Election Commission to call the elections early in January, we would not have had this reservation and filled up the Lok Sabha with 78 Members of the Scheduled Castes, 39 Member$_s$ of the Scheduled Tribe$_s$ and two Anglo-Indian Members. And that is the reason $_w$hy this Bill was amended in 1959 to give representation to these people both in the Central Legislature and also in the State Legislatures, Again, ten years later it was amended with the hope that the reasons for which these Bills were brought would disappear. But t$^{\wedge e}$ hope$_s$ were belied. The people for whom this Bill was made could net be fully integrated into the mainstream and they would have remained unrepresented but for this Bill. So, the need and priority for having brought thi$_s$ Bill now can be realised.

Sir, On this occasion, I also congratulate the people for having brought back to power Shrimati Indira Gandhi in whom they have full faith and confidence fo$_r$ doing justice to the needy and the downtrodden and the other minorities who have been suffering at the hands $_0$f the people who are stronger in many fields and to set right the wrongs that have been committed earlier. Sir, i$_n$ this caste-ridden society but for this reservation I don't think that even ten per cent of Members belonging to these communities would have been represented in the Legislatures. For example. Sir, in the last elections, one or two odd seats were given to the Scheduled Caste members in the general seats. But, unfortunately, they could not be successful not only because of the cast feeling but also because of the atrocities committed on the Hari-jans and Brahamins, Muslims and other minorities and they were not allowed to go to the polls. But for that, i think, in the general constituencies where one or two odd members

were put up, would have been returned. That is well-known to many Members. Some may admit it and others may not admit it.

Sir, we have now come before the House for political reservation. Along with that I would request the Government that steps should also be taken for social and economic reservations. Even if steps are taken and rules and procedures are formulated, no benefit can be derived by these sections of the people until strict vigilance is kept in the execution of these orders. As long as their social and economic position is not brought on a par with other people, these political reservations will have to be repeated every ten years in order to give them special representation in legislatures. From one of the amendments proposed I find that they want reservation for 100 years and not 40 years or 30 years or 10 years. Even hundred years or thousand years will not make any difference unless there is a change of heart in the people belonging to other communities and the people are allowed to exercise their franchise freely and not prevented from going to the polls. This is not a secret. It is known to everybody. I hope that the Government and the Election Commission will apply their minds to this problem and see that this does not recur [over and over again. With these few words, Sir, I thank you for giving me a chance to speak and I support the bill.

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार) : उपसभापति जी, मैं विधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्यों ? क्यों मैं इसका समर्थन करता हूं। पहली बात यह है कि यहां इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं तो आज तक जो आरक्षण के अधिकार मिले हुए थे उसमें जो थोड़ी सी तरक्की हुई है वह सब चौपट हो जायगी। पहली बात यह है, जो कुछ भी हुआ है अगर इसका समर्थन एक स्वर से न किया जाय तो इस क्षेत्र में खास कर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब तथा एंग्लो इंडियन भी इसमें आते हैं, पीछे नहीं बल्कि अब तक जो कुछ हुआ है वह यह है। जो कुछ भी हुआ है अगर इसका मटियामेट हो जायगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। दूसरी बात अगर यह अधिकार हरिजन और आदिवासियों का नहीं रहता है तो मुझे नहीं उम्मीद है कि वे जनरल सीटों से जीतकर इस सभा या उस सभा में आ सकते हैं। वे नहीं आ सकते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। रिजर्व सीटों से अलग हरिजनों और आदिवासियों को खड़े होने का बराबर अधिकार है, मुमानियत है। रिजल्ट क्या है, सुन लीजिए। जनरल इलेक्शन 1952 में शिड्यूल्ड कास्ट पांच और शिड्यूल्ड ट्राईब एक, सन् 57 के जनरल इलेक्शन में जो खड़े हुए थे, जो जनरल कैन्डीडेट हुए उनमें शिड्यूल्ड कास्ट 6 और शिड्यूल्ड ट्राईब 3, जनरल इलेक्शन 1962 में शिड्यूल्ड कास्ट एक और शिड्यूल्ड ट्राईब दो

(Interruptions)

एक माननीय सदस्य : ये पालियामेंट के हैं या स्टेट के हैं ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : हां ये पालियामेंट के हैं। जनरल इलेक्शन 1977, शिड्यूल्ड कास्ट जीरो और शिड्यूल्ड ट्राईब एक, जनरल इलेक्शन 71, शिड्यूल्ड कास्ट एक और शिड्यूल्ड ट्राईब चार। तथा बीच में जो इस वक्त इलेक्शन हुआ है, मेरी इन्फारमेशन जहां तक है जनरल सीट से शायद एक आदमी जीतकर आये हैं। तो उपसभापति जी यह पालिटिकल राईट का सवाल है। The social and economic progress flowed from political rights. अगर ये राईट चले जाते हैं, जो भी है, तो इससे जो कुछ होगा वह रसातल में चला जायगा, पीछे चला जायगा। इसलिए मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यही समर्थन करते हुए आज 10 वर्ष के बाद यह अमेंडमेंट आया है। पिछली दफे जो अमेंडमेंट आया था उसको जिन्होंने पाइलट किया था वे थे श्री गोबिन्द मेनन। आज यहां हमारे लायक दोस्त ज्ञानी

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

जैल सिंह हैं । उन्होंने क्या कहा था ? उन्होंने बोलते हुए अन्त में कहा था :•

"Speaking in the Lok Sabha on the same date Shri Govinda Me-non, Minister of Law—

क्योंकि यह डिपार्टमेंट जो है उसी के जिम्मे था उस वक्त में ——

"Social Welfare and Railways also did not agree that it should be left to the leaders of the • political parties to isee that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were adequately represented in the Parliament and the State Assemblies in the absence of reservation. He said that whatever be the political party—

पोलिटिकल पार्टी क्लेम कर सकती है कि हम अपनी पार्टी की तरफ से जिता देंगे । क्लेम कर सकते हैं । उन्होंने कहा क्या है ? उनका एम क्या था ?

"....caste comes first, the political party comes second. That is a curse in India. That is the biggest obstacle to democracy, he remarked."

यह श्री गोविन्दा मेनन का था जिसके बाद यह अमेंडमेंट आया है । इसके भी पहले जो अमेंडमेंट (बिल) हुआ था, उसमें जिनको मैं देश की महान विभूति मानता हूं, पं० गोविन्द बल्लभ पंत, उन्होंने क्या कहा था ——

"It is not only a question of conferring economic benefit or working for educational advancement or the like. There is something more involved in it and to me the main question is as to how to resuscitate and vitalise the suppressed soul of the Scheduled Castes. So this Bill embodies an appeal to the conscience of the House."

यह समाज जितना पीछे पड़ा हुआ है, आज भी इतने दिन के बाद भी—अब आप विचार करेंगे कि हमने दुनियां को जानने की कोशिश की है कि दुनियां में ऐसा कोई समाज है जिस तरह से हमारे हिंदू समाज में शेड्यूल्ड कास्ट है जैसे अनटचेबल्स हैं, हमें कहीं पर नहीं मिला । खाली, एक जगह जापान में कहीं एक ट्राइब है जो गांव के किनारे कहीं रहता है, इसके अतिरिक्त कहीं और जैसे हमारे समाज में कास्ट हिन्दू उसके साथ बर्ताव करता है, वैसा हमको कहीं नहीं मिला । यह पहला काम था कि और यह स्ट्रेटेजी थी कि रिज़र्वेशन देकर, पोलिटिकल पावर देकर इस चीज के ग्रास रूट को हैमर किया जाए । वह आज तक नहीं हुआ है ।

आज भी गुजरात में क्या है जहां गान्धी जी का जन्म हुआ ? वहां पानी पीने के लिये लोगों को मारा गया । तमिलनाडू में एक लड़की ने भूल से हाई कास्ट के बर्तन से पानी पी लिया था, उसको जान से मार दिया गया । ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं है । मुझे जहां तक याद आता है कि वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ कर के बाकी बहुत सी स्टेट्स हैं जहां पर कि हरिजनों के ऊपर उतने ही जुल्म हो रहे हैं । कहते तो सब कोई हैं—बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, यह सब सारी स्टेट्स हैं जहां पर हरिजनों पर बड़े जुल्म होते हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि पंजाब इसमें पीछे था । मुझे आश्चर्य होता था कि पंजाब इतना मिलिटेंट रेस है, वहां पर हरिजनों पर जुल्म क्यों नहीं होता है । लेकिन वहां से भी रिपोर्ट आने लगी है । वहां भी रेप होता है और क्या जुल्म नहीं होता है । यह स्थिति आज है और मेरा विश्वास है कि जब तक हिन्दू समाज में कास्ट सिस्टम है, मेरा ख्याल है कि उसको कोई हटा नहीं सकता । कई स्ट्रेटेजीज इसके लिये की गई, लेकिन आज तक यह चीज कायम है । आज भी पानी पीने के लिये, मजदूरी मांगने के लिये बन्दूक मार

दी गई, पेट्रोल डालने में देरी हुई तो गोली से उड़ा दिया गया कि पेट्रोल डालने में देरी क्यों हुई।

इसमें मैं किसी को दोष तो नहीं देता हूं। पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार थी जिसमें मैं भी था। मैं जो कुछ कहता हूं उससे अलग होकर कैसे कहता हूं। यह समाज है हमारा। आज प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई जहां पर बैठते थे, तो वहां पहले श्री इन्दिरा गांधी जी बैठती थीं उस पर। हम तो जहां थे, वहीं हैं। *(Interruptions)*

एक माननीय सदस्य : आप यहां तशरीफ ले आइये, हम आप का बड़ा आदर करते हैं।

श्री भोला पासवान शास्त्री : ऐसा कोई ब्लाक नहीं है जिस पर हम नहीं बैठे हैं, अब मालूम होता है जैसे स्थितिप्रज्ञ हो गये हैं। वहां मोरारजी भाई बैठे थे। जब मोरारजी भाई बैठे थे तब हम ने कहा था कि आप बैठे हैं आप को मौका मिला है, भगवान ने दिया है, जनता ने दिया है, जनता ही भगवान है, आप कुछ करिये। अब उसी जनता ने इन्दिरा जी को चुन कर भेजा है, देश की नेता इन्दिरा जी हैं उसको साबित कर दिया है, हम भी मानते हैं। लेकिन इन्दिरा जी और मोरारजी भाई का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि देश के सामने जो समस्या है उसे आप कैसे हल करते हैं। आप के हाथ में बागडोर है, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। जनता पार्टी को जो कुछ करना था, कर के चली गयी, आप कैसे हल करते हैं यह कहिये। उपसभापति जी, मैं समझता हूं कि आज हरिजनों की हालत ऐसी बना कर रख दी गयी है कि अगर उनको मारा भी जाता है, कुछ नहीं भी करते हैं तो भी वोट वह आप को ही दे दें। यह इस देश का सबसे बड़ा सदन है जहां हम इस समस्या पर विचार करने के लिए बैठे हैं। दस वर्ष का रिजर्वेशन पास तो होगा ही। हम सब तैयार है न भाई? हम तो समझते हैं कि बहस की जरूरत नहीं थी, मोशन पास हो जाता। एक तरफ आप पोलिटिकल राइट नहीं, सोशियो-इकोनोमिक राइट टू फार्म पोलिटिकल पार्टी। यही पोलिटिकल राइट है जिससे हम जीत कर आते हैं। हमने बताया कि आप ने यह हटा दिया तो हम जीत कर नहीं आ सकते।

दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के जमाने में दूसरों के पास जाने में, मिलने में, सोसाइटी के इन्टीग्रेशन में यह बड़ा भारी फैक्टर है। नहीं तो जो जुल्म हरिजनों पर होता है उसको देखकर मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि तमाम हिन्दुस्तान के हरिजनों को एक जगह जमा कर के एक प्रदेश उनको दे दिया जाय; मैं हर पहलू से सोचता हूं। दस करोड़ की आबादी है उनकी, उसको जमा करके एक प्रदेश में दे दें। तब जुल्म कर के देखें कि कैसे जुल्म करते हैं। सब से दुख की बात है कि हरिजनों पर सबसे बड़ा जुल्म हाई कास्ट के आदमी करते हैं। यह फिगर बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। हम अभी सब कोट नहीं कर सकते। क्रिश्चियन हो जाने पर आप सब सुविधाएं बन्द कर के रख देते हैं। हम उन के धैर्य की तारीफ करते हैं कि इतनी मार खाने पर भी वह जिन्दा कैसे हैं। जैसे हिन्दू समाज का वह अंग है उसी का उस पर जुल्म होता है। मुसलमानों का जुल्म कम होता है, क्रिश्चियन का जुल्म कम होता है, दूसरी कौमों का जुल्म कम होता है, लेकिन हिन्दू समाज, जिसका वह अंग है, उसी का उसपर ज्यादा जुल्म होता है। इन्दिरा जी दूर करेंगी? आप तो सत्ता में हैं, जवाब दीजिए। आप इधर थे, उधर जाकर बोलेंगे नहीं? तुलसीदास की चौपाई है "प्रभुत्ता पाय काहि मद नाही" इस से बचियेगा।

एक माननीय सदस्य : यह हम जानते हैं।

श्री भोला पासवान शास्त्री : लेकिन क्या दूर कर सकते हैं? तीस वर्ष में दूर नहीं

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

हुआ । दस वर्ष और बढ़ेगा । दस वर्ष इस लिए है कि यह काम जल्दी हो जाय । अगर हमारे मित्र का--श्री मौर्य का--अमेंडमेंट मान लिया जाता तो वह तो सौ वर्ष का था । लम्बा समय देने से आदमी कम्प्लसेन हो जाता है कि हो जायगा । दस वर्ष का आइडिया इसी लिए है । सरकार की भी मंशा होगी कि हम टार्गेट रखें जिससे हम जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म कर दें । हम को सरकार की मंशा में कोई शको-शुबहा नहीं है । लेकिन सरकार करती क्यों नहीं है ? उसका कारण क्या है । प्वाइन्ट यह है । सरकार की ईमानदारी में, सरकार की मंशा में हम को अविश्वास नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि काम आगे नहीं बढ़ता है । जब हरिजन पर जुल्म होता है तो जुल्म करने वालों के खिलाफ सरकार के हाथ क्यों नहीं उठ पाते हैं । उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये सरकार लंगड़ी क्यों हो जाती है ? उनके खिलाफ कोई कदम उठाने के लिये सरकार अंधी क्यों हो जाती है ? सरकार उनके खिलाफ कोई काम क्यों नहीं कर पाती है ? इसलिये कि उसकी जड़ में उनकी गरीबी है । मैं ने देखा है कि जहां हरिजनों पर जुल्म होते हैं वहां 95 परसेंट उनका कारण इकोनामिक है । उसका कारण आर्थिक है । जहां वह अपना अधिकार मांगता है उसे गोली मार दी जाती है । कोई शेयर क्राप में अपना नाम लिखाना चाहता है उसे गोली मार दी जाती है । कोई उनकी बेगार नहीं करना चाहता है, उसे गोली मार दी जाती है । आप को जान कर हैरत होगी कि जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहीं हरिजन का गला काट लिया जाता है । और तो और, वह सरकारी अफसर जिसके हाथ में ला ऐंड आर्डर मेन्टेन करने का अधिकार है जब वह पार्टी हो जाता है तो आप क्या कर पायेंगे ? मैं अपने भाई जैल सिंह साहब की कद्र करता हूं । मैं यह नहीं कहता कि आप ने कुछ नहीं किया । आप ने किया है, लेकिन यहां तो अभी आप जा कर बैठे ही हैं । आप को प्रदेश के शासन का अनुभव है और मैं यह जानता हूं कि अगर आप चाहें तो कुछ कर सकेंगे, लेकिन आज जरा सा एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है तो पालिटिक्स करने के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट को तोड़ दिया जाता है, लेकिन जब हरिजनों पर आर्गनाइज्ड डकैती होती है, उन पर जब आर्गनाइज्ड जुल्म होते हैं, जब उनके गांव के गांव जला दिये जाते हैं, जब उनकी लड़कियों को रेप किया जाता है तो कुछ नहीं किया जाता है क्योंकि मन्यवर, वह कमजोर हैं । वह गरीब हैं । रेप करने वालों के साथ थाना भी हो जाता है और दूसरे अधिकारी भी उन के साथ हो जाते हैं । क्या ऐसी जगहों पर आप प्रेसीडेंट्स रूल कायम कर सकते हैं ? क्या इस सरकार में यह हिम्मत है कि जहां हरिजनों पर जुल्म होता हो, चाहे वह बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो या राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो, जिस को आप भी महसूस करेंगे और आप के अफसर भी महसूस करेंगे, वहां इसी ग्राउंड पर आप क्या प्रेसीडेंट्स रूल कायम कर सकते हैं ? आंध्र में भी यह हो सकता है । मैं नाम कहां तक गिनाऊं । लेकिन आंध्र में उन पर बहुत ज्यादा जुल्म होता है । क्या वहां कुछ करने की आप में हिम्मत होगी । क्योंकि आज आप वहां पर बैठे हैं और आप बड़े यत्न से आये हैं । जनता ने आप को पूरा विश्वास दिया है । यह खुशी की बात है । जनता राज जब हुआ था तो हम ने उनका भी स्वागत किया था । उस समय हम बंटे नहीं थे । तो जिस दिन हरिजनों पर कहीं लार्ज स्केल पर रेप होते हैं, लार्ज स्केल पर जब उन के मर्डर्स होते हैं उस दिन अगर आप के हाथ में ताकत हो तो आप वहां क्या कुछ कर सकेंगे ? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ट्रांसफर करना तो दूर, मैं जानता हूं कि एक दरोगा के चलते पूरा गांव उजाड़ दिया गया और चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वह दरोगा के खिलाफ कोई ऐक्शन ले सकता । एक दरोगा स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बड़ा है । तो आप क्या कर सकेंगे ? मैं नहीं कहता कि आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन

हम को तो आज यह दिखाई दे रहा है कि जैसी हालत है उसमें आप नये-नये आये हैं, आप दोहरा कर आये हैं, आप में मंसूबा हैं, आप में उमंग हैं आप में गर्मी भी है लेकिन वह गर्मी तो ठंडी हो जायगी और आप के हाथ कांपेंगे यह सोच कर कि अगर हम ने कोई ऐक्शन लिया तो उसका असर पालिटिक्स पर क्या पड़ेगा। अगर पालिटिक्स को और हरिजनों की समस्या को साथ लेंगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है। हम भी उसको हल करने जायें तो हम को भी कठिनाई होगी। यह बात हम जानते हैं। लेकिन आज यह समस्या आप के सामने है। आप उनका रिजर्वेशन दस वर्ष के लिये बढ़ा दीजिये या उसको बढ़ा कर 40 साल के लिये कर दीजिये। हम उस सब का स्वागत करते हैं, लेकिन बात तो यह है कि उनको आप इधर से देते हैं और उधर से ले लेते हैं। दस वर्ष के लिये आप ने उनको रिजर्वेशन दिया है। यह एक पोलिटिकल राइट है। अच्छी बात है। मैंने फिगर दी थी, अभी मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं थे कि जनरल चुनाव में क्या हम में से कोई चुन कर आ सकता है। हम खड़े होंगे तो जनता हम को वोट नहीं देगी। हम तो कहते हैं कि तुम्हारी रिजर्व सीट है, तुम जनरल सीट से क्यों खड़े होते हो। उत्तर प्रदेश में जो पिछला बाई इलेक्शन हुआ, वहां जो हरिजन जनरल सीट से खड़ा हुआ था तो उसके खिलाफ सब जातियां मिल गयीं और कहा कि तुम रिजर्व सीट भी लोगे और यहां भी खड़े हो रहे हो। यह नहीं होगा और ऐसा कर के उसको हरा दिया। तो यह आज आप के समाज का दृष्टिकोण है। हिन्दू समाज में बड़े लोगों की मेजारिटी है और वह जैसा चाहेंगे करेंगे। यहां एक प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी हैं और एक होम मिनिस्टर जैल सिंह जी हैं, लेकिन भारत के हर गांव में जो बड़े-बड़े आदमी हैं वहां उनका ही लॉ एण्ड आर्डर चलता है। उनको आप दबा नहीं पायेंगे इसलिये कि आपको विश्वास है कि आप उनके वोट पर यहां बैठे हैं। और आप माफ कीजियेगा, जब तक आप के दिल में यह भावना है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वही आप को उठायेगा और वही आप को दबायेगा। उसके लिए आप में हिम्मत है या नहीं इसको आप देख लीजिए। इसको आप तौल लीजिए। आप इस बारे में सोच लीजिए और अपने मन में पूरी तरह विचार कर लीजिए। यह आप की जवाबदेही है। आप को मौका मिला है और जो समस्यायें हैं उनको आप जानते हैं। हम से ज्यादा समस्याएं आप जानेंगे। हम तो अखबार में पढ़ कर, जनता से मिल कर बात कर के ही समस्याओं को जान पाते हैं। आप के पास तो अनेकों साधन हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि हरिजनों के साथ वहां क्या और किस तरह का जुल्म होता है कि 12 वर्ष के बच्चे के हाथ गोड़ बांध कर उसकी जीभ काट दी गयी। इसे सुन कर आपको आश्चर्य होगा कि इस देश में स्वराज्य होने पर भी यह सब होता है। उन की आर्थिक समस्या भी अलग है। जो उनमें गरीबी है उसे आप कितना मिटायेंगे यह तो एक अलग सवाल है। हमने कहा कि यह जो सोचिये-इकानामिक डेवलपमेंट उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। पोलिटिकल पावर को आप क्या दीजिएगा। जो मजदूरी मांगने के लिए आता है तो उसकी रक्षा नहीं होती है, गवर्नमेंट कह देती है कि यह तो स्टेट सब्जेक्ट है। यह तो भागने का सीधा बहाना है। बचने को पालियामेंट में आप कह सकते हैं लेकिन आपके दिल में यह बात है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है तो स्पेशल कानून क्यों नहीं बनाते, स्पेशल दरोगा क्यों नहीं भेजते हैं? क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं उनको, क्यों नहीं स्पेशल कानून लाते हैं। आप यह कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। इसलिए यह आपको करना पड़ेगा। जहां पर हरिजनों पर ज्यादा जुल्म होता है वहां पर देखिये, आप सेटिस्फाई

[श्री भोला पासवान शस्त्री]

हो जाएंगे। आप कितने भी वायदे कीजिए लेकिन इसके लिए एक स्ट्रांग ऐक्शन, स्ट्रांग विल की जरूरत है। हिन्दुस्तान में आज तक जो पांच बार प्लानिंग हुआ उसमें हरिजनों के लिए क्या है? जितना परसेंटेज प्लानिंग कमीशन का है उसका हिसाब लगाइये 46 परसेंट और 51 परसेंट से बेशी है उसमें आधे से अधिक शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। *(Interruptions)*

श्री श्याम लाल यादव : आधा नहीं है। *(Interruptions)*.

श्री भोला पासवान शास्त्री : वह तो गवर्नमेंट का रेकार्ड है। आप उसको उठाइयेगा, बढ़ाइयेगा तो क्या करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा रूथलैस होना पड़ेगा। बिना उसके हो नहीं सकता। यह असम्भव बात है। पांच साल के बाद आप वहां जाइयेगा चुनाव में जीत कर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वह तो जनता जानती है। लेकिन जिसके लिए रिजर्वेशन हो रहा है उस को आप देखिये। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के होम डिपार्टमेंट में जो रिजर्वेशन उनका होना, चाहिए वह रिजर्वेशन सर्विसेज में दिया गया है कि नहीं? जब आप नहीं करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। अगर चीफ मिनिस्टर किसी का दुलारा है तो वह चाहे जो करे। 'संय्यां भये कोतवाल तो डर काहे का'। आपकी ही पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो तो जो चाहे करिये। गांव के गांव जला दिये गये। हमने जनता राज में दो चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस अटेंड कीं। उनको बोले भी, मित्र के नाते भी और एक नागरिक के नाते भी। आपको भी कह रहा हूं कि आप क्या करियेगा। आप अनुभवी कार्यकर्ता हैं। आप ऊपर से आई० सी० एस० या आई० ए० एस० हो जाता है सो तो आप हैं नहीं। आप तो नीचे से मेहनत करते-करते समाज से, जनता से आये हैं। आप आंखे फाड़-फाड़ कर देखियेगा कि कहां जुल्म गरीबों पर होता है। हरिजनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह तो दोहरी मार खाता है, एक तो वह गरीब है, दूसरी उसके साथ अन-टचेबिलिटी है। इतने जुल्म इस देश में हो रहे हैं यह बड़े शर्म की बात है? युनाइटेड नेशंस में भी इसका प्रोविजन है। जिस संधि पर दस्तखत होने चाहियें आपने फारेन मिनिस्टर ने नहीं किये। अगर वह दस्तखत कर देते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप अपने फारेन मिनिस्टर से पूछियेगा कि उन्होंने दस्तखत किये या नहीं। मैं जानता हूं उन्होंने दस्तखत नहीं किये। हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं और होते रहेंगे उनको, मिनिस्टर साहब को पता है कि अगर हम संधि पर दस्तखत कर देंगे तो हम पकड़े जायेंगे। यह सब ह्यूमन राइट्स एक्ट में आता है। आप किसी भी फारेन मिनिस्टर से पूछ लीजिए, पता लगा लीजिए कि उस पर दस्तखत किये या नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि वे इस डर से दस्तखत नहीं करते कि अगर उन्होंने दस्तखत कर दिये तो बाहर से आदमी देखने आएगा कि यहां पर आदिवासियों पर कितना जुल्म हो रहा है और अगर यह पता लग गया कि यहां जुल्म हो रहे हैं तो उनकी नाक कट जाएगी।

श्री श्याम लाल यादव : ह्यूमन राइट्स एक्ट में ऐसा कहा है।

श्री भोला पासवान शास्त्री : ह्यूमन राइट्स एक्ट में ऐसा है। आपके किसी फारेन मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने उस ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किये।

श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी : किस ट्रीटी की बात आप कर रहे हैं?

श्री भोला पासवान शास्त्री : ह्यूमन राइट्स एक्ट के अन्दर यह ट्रीटी होती है। जो देश इसमें शामिल होता है तो उस देश में उनके लोग देखने आते हैं कि वहां आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं या नहीं।

श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी : ह्यूमन राइट्स कन्वेन्शन की बात आप कर रहे हैं ?

श्री भोला पासवान शास्त्री: मैं यह जानता हूं कि आपको इन्फारमेशन बहुत रहती है । मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मैं आपको डिटेल दे दूंगा । सारी बातें यहां नहीं हो सकती । ह्यूमन राइट्स का रिकार्ड यहां मेरे पास नहीं है । मैं यहां कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं । मैं तो पब्लिक मैन हूं । मुझे यह इन्फारमेशन है कि अगर यह राइट मिल जाएगा तो जो यहां जुल्म हो रहे हैं हरिजनों पर तो आपकी सरकार को खर्चा देना पड़ेगा । इस प्रकार की ट्रीटी का आपको नहीं मालूम है । मैं आपको दिखा दूंगा ।

श्री श्याम लाल यादव : ठीक है आप दिखा देना ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : आज बहुत गरीबी है । जो मजदूरी मजदूर की फिक्स की हुई है वह उसको नहीं दी जाती है । मजदूरी उनको क्यों नहीं मिलती है इसको कोई सुनने वाला नहीं है । क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इसको बलाय ताक रखा हुआ है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट का काम है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है तो उससे जवाब-तलब करे । मैं तो इस पालियामेंट का मेम्बर हूं । सारे देश की बात कर रहा हूं । एज ए गवर्नमेंट आपकी पार्टी का काम है । करिये या न करिये आपकी खुशी है । आपकी मेजोरिटी है । अगर आप कुछ करते हैं तो अच्छा है । अगर आप सीरियस हैं तो मेरा विश्वास है कि यह काम किया जा सकता है । यह जो आपको मौका मिला है यह देखने की बात है कि इस पर आप क्या करते हैं ।

जहां तक गरीबी की बात है उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है । हरिजनों की उन्नति में कोई सुधार नहीं हुआ है । आप होम मिनिस्टर को पालामू में भेजिये । वहीं बाउंडेड लेबर के बारे में वर्ल्ड स्कीम बनी हुई है । वहां फिल्म भी दिखाई जाती है । सुधार के बारे में जनता पार्टी की भी स्कीमस थी, इन्दिरा गांधी ने बनाई थी लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है उसको जरा देखा लीजिए । इस को आपको देखना है कि इस बुराई को कैसे दूर करना है । हम का आपकी नीयत में जरा भी शक नहीं है । लेकिन आज जो चीज करनी चाहिये, हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिये अनटचेबिलिटी की विषमता को दूर करने के लिये, ह्यूमन राइट्स देने के लिये वह कुछ नहीं हो रहा है । हमारी आदिवासी लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, उनके घर जलाये जाते हैं और जो आगजनी की टेंडेंसी है वह बढ़ती चली जा रही है वह लहर बढ़ती जा रही है । मैं बिहार की बात नहीं कह रहा हूं मैं ऐसे प्रदेश की बात कह रहा हूं जहां गांधी जी पैदा हुए हैं, जहां नेहरू जी पैदा हुए हैं, गोविन्द वल्लभ पंत पैदा हुए हैं, लाला लाजपत राय पैदा हुए हैं, रवि शंकर शुक्ल पैदा हुए हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि यह बिल तो आप पास करेंगे ही, लेकिन आपने हरिजनों और आदिवासियों के लिए जो प्रावधान किया है उसको देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्यादा सतर्क करना होगा और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना होगा । जब तक आपके पास इन कामों को देखने वाली कोई मशीनरी नहीं होगी तब तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है । आपको इस मामले को पोलिटिक्स से हट कर हल करना होगा । मैं समझता हूं कि अगर आप मुस्तैदी से इस प्रोब्लम को हल करेंगे तो यह बहुत जल्दी हल हो सकती है । मैं मानता हूं कि अनटचेबिलिटी में आपके सामने कठिनाई हो सकती है, लेकिन इन लोगों का इकनोमिक डवलपमेन्ट करने में क्या दिक्कत है, यह मेरी समझ में नहीं आता है । प्लानिंग कमीशन आपके पास है और अन्य बड़े-बड़े एक्सपर्टस

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

भी हैं, आफिसर हैं, आप कोई स्कीम बना कर इन लोगों की हालत में सुधार ला सकते हैं। असली जरूरत इस बात की है कि किसी भी योजना का फोलो अप एक्शन होना चाहिए। मैं वेस्ट बंगाल में गया था। वहां पर सी० पी० एम० की सरकार है। मैं दो दिन वहां रहा। मैंने वहां पर देखा कि उन्होंने अन्डर-रैय्यत का कानून बना दिया है और इस बारे में काम किया है। इसी प्रकार से केरल में भी अन्डर-रैय्यत का कानून बना है। वेस्ट बंगाल और केरल, कोई बाहर के मुल्क नहीं हैं, हमारे ही मुल्क के प्रान्त हैं। हमारे मुल्क में केरल सबसे पहला प्रान्त है जहां पर इस प्रकार का कानून बना है। लेकिन पंजाब में नहीं बना, बिहार में नहीं बना, मध्य प्रदेश में नहीं बना, उत्तर प्रदेश में नहीं बना और राजस्थान में नहीं बना।

श्री लक्ष्मण महापात्र : (उड़ीसा) : कंझावला में भी नहीं बना।

श्री भोला पासवान शास्त्री : वहां पर भी नहीं बना होगा। इस प्रकार की हालत हमारे देश में है। चूंकि उपसभापति जी, आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं अधिक बोलना नहीं चाहता हूं। मैंने इस बिल का पहले ही समर्थन कर दिया हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमको अपने मन की बातें कहने दीजिये और इन लोगों को सुन लेने दीजिये। इससे हमारे मन की गर्मी भी निकल जाएगी और हमारा मन कुछ ठंडा हो जाएगा। हमारे नये गृह मंत्री श्री जैल सिंह आए हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस बारे में कुछ ठोस काम करके दिखायें। आपने हमारी पार्टी को 40 मिनट का समय दिया है। हमारे दूसरे सदस्य भी इस बारे में बोलना चाहेंगे। इसलिए मैं अन्त में मैं अपना भाषण कांस्टियूएन्ट असेम्बली में डा० अम्बेदकर ने डिबेट को सम-अप करते हुए जो बात कही थी उसको कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं। डा० अम्बेदकर ने सारी डिबेट का इसमें निचोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को 60 वर्ष तक रिजर्वेशन दिया गया। इसी प्रकार से क्रिश्चियन लोगों को तक रिजर्वेशन दिया गया।

"While summing up the debate Dr. Ambedkar indicated that he was hismself in favour of prescribing a longer perio in the Constitution for these backward classes of communities, particularly in res-pelt of the Scheduled Castes, as they were not treated on the same footing as the other minorities. In this connection, he gave the instances of special reservations for Mohammedans which started in 1892 and continued till the Constitution came into force, i.e. for a period of 60 years. Similarly, in respect of the Christians, this facility became available to them in 1920 and they enjoyed it for a period of 28 years. In so far as the Scheduled Castes were concerned, this benefit was extended to them in the Constitution of 1935 which ac-tually became effective in il937 when that Act came into operation. He, however, added that anfortu-nately from the period 1939 to 1946, i.e. practically up to the period when independence was achieved, the Constitution remained suspended and the Scheduled Castes were not in a position to get the benefits of the privileges which were given to them in the 1935 Act. (He, however, advised that for the present the exsiting period in the Constitution, namely, the period of 10 years, might be accepted, but if at the end of 10 years it was felt that the position of the Scheduled Castes in the society had not improved, than it should not be difficult to get the period extended further. Similar considerations would apply to Scheduled Tribes also."

4 P. M.

हमारे देश में हमारे बहुत से बन-वासी भाई हैं, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई हैं। उनके साथ अनटचेबिलिटी का सवाल नहीं है। लेकिन इतना शोषण उनका होता है कि आंखों से देख कर आंसू बहने लगते हैं। मनीलैंडर्स और बड़े लोग उनका शोषण करते हैं। वे जंगलों में रहते हैं। जंगलों . . .

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : अब बस कीजिये। वह पास हो जाय।

श्री भोला पासवान शास्त्री : मैं इसका समर्थन कर रहा हूं।

तो इसके लिये भी आपको देखना पड़ेगा। उनकी जो लोकल प्राबलम्स हैं, जंगल के जो रीति-रिवाज हैं उन्हें भी आपको देखना पड़ेगा। आज अभी भी वे समाज में बराबर पर नहीं आये हैं। वे बहुत बुरी जिन्दगी बिताते हैं।

इनमें यह भी है, एंग्लों-इंडियन के दो प्रतिनिधि नामिनेट होंगे लोक सभा में और राज्य सभा में भी। मैं इसको ताईद करता हूं। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। लेकिन वह संक्षेप में है। लेकिन वे भारत के प्रति सदैव लायल रहे हैं और वे जहां तहां छितरा गये हैं। उन लोगों का अगर कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ कर आना चाहे तो वह नहीं आ सकता है। इसलिये मैं इसका ताईद व समर्थन करता हूं। एंग्लों-इंडियन प्रतिनिधियों को नामिनेट करने का जो इसमें है वह उचित है।

इन तमाम चीजों के कहने के बाद अन्त में मेरा यह निवेदन है कि पिछड़े वर्ग के लोगों पर जो एट्रोसिटीज होती हैं उसको देखते हुए मेरा कहना है कि उनको कम से कम इतना राइट तो दें कि वे मनुष्य होकर जी सकें। होम मिनिस्टर साहब आप यदि यह कर सकें, इसका भरोसा दिला सकें और अपने अन्दर ऐसा कान्फिडेन्स पैदा कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी एचीवमेन्ट होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रहमान शेख (उत्तर प्रदेश) : आनरेबुल डिप्टी चेयरमैन साहब, जो बिल जेरे बहस है मैं इसको सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह बिल पेश करके गवर्नमेन्ट ने अपने फ़र्ज की अदायगी की है। तमाम पोलिटिकल पार्टीज इस बात के लिये वचनबद्ध थीं, कमिटेड थीं कि वे इस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहेंगी और यह वक्त की जरूरत थी जिसको गवर्नमेन्ट नें पूरा किया है। इसलिये इसके समर्थन में सभी पार्टियों ने अपनी राय दी है। लेकिन, इस में से कुछ बातों की तरफ़ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सरकार कांस्टिट्यूशन में इस तरह का अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में या असेम्बलियों मे रिजर्वेशन दे देती है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर तीस साल के अर्से में वे लोग क्यों इस काबिल न बनें जिससे कि उनको इसकी जरूरत न हो। कोशिश यह होनी चाहिए कि वे लोग इस काबिल हो जायें ताकि वे बाकी लोगों की तरह से कम्पीटीशन में आ जायें। लेकिन हकीकत यह है कि लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन करने के बाद जिन्दगी के बाकि पहलुओं में कुछ नहीं किया गया है। होना यह चाहिए कि जो पिछड़ी जाति के भाई हैं, जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हमारे भाई हैं वे इस लेवल पर आ जायें ताकि वे रिजर्वेशन के बिना बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ें। यह बड़ी अफसोसनाक बात है,

श्री अब्दुल रहमान शेख

यह बड़ी शर्मनाक बात है कि इस सारे मामले में हमने पिछले 30 सालों तक कुछ नहीं किया । गवर्नमेन्ट ने केवल रिजर्वेशन देकर इस बारे में कागजी खानापूरी की और इस तरह से कांस्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपने फर्ज को अदा किया । इस बात को प्रैक्टिकली देखना चाहिए सरकार नियर फ्यूचर में, आने वाले इस वक्त में इस तरह के कदम उठाये जिससे कि वे इस काबिल बन जायें कि आगे इस किस्म की चीजों की जरूरत न रहे । यह रेजोल्यूशन यहां पर रखना इस बात का सबूत है कि पिछले तीस सालों में जो कुछ करना चाहिए था वह नहीं हुआ । इसके लिये कौन सी पार्टी जिम्मेदार है, कौन नेता जिम्मेदार है इस लम्बी बहस में मैं इस समय जाने को तैयार नहीं हूं । लेकिन यह एक बड़ी अफ़सोसनाक बात है । अभी हमारे शास्त्री जी ने बताया कि आज भी हरिजनों को कुओं पर से पानी लेने के लिये मना किया जाता है, उनको इबादत के लिये, पूजा पाठ के लिये मंदिरों और दूसरी पवित्र जगहों पर जाने से रोका जाता है, उनकी महिलायों का नंगा जलूस निकाला जाता है । उनके साथ इस तरह की तमाम ज्यादतियां होती हैं परन्तु इसके बावजूद इन चीजों को नजरदांज किया गया और यह कहा जाता है कि हम उनको इक्विलिटी देना चाहते हैं, उनको हक देना चाहते हैं । इससे काम बनने वाला नहीं है । आपको कुछ प्रेक्टिकल कदम उठाने पड़ेंगे । एक और बात की तरफ़ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं । गवर्नमेंट ने यह लेजिसलेचर में रिजर्वेशन करने के बाद सर्विसेज में भी इन भाईयों के लिये रिजर्वेशन की हैं इस रिजर्वेशन के बारे में जहां एक तरफ़ हकीकत यह है कि यह हकदार लोगों तक नहीं पहुंचती दूसरी तरफ इसके खत्म करने के लिए आवाज उठती हैं । शास्त्री जी तथा दूसरे हरिजन भाई जो इस हाउस के माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं मुझे माफ करेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हरिजनों में एक नयी क्लास उभरी है जो इन तमाम प्रिविलेजेज को अपने तक ही महदूद किए हुए हैं । मैं जम्मू और काश्मीर का रहने वाला हूं । मुझे याद है जितने वजीफ़े आते थे, स्कालरशिप्स आती थी वे सब जितने हमारे दोस्त एम० एल० ए०, डी० सी०, आई० ए० एस० अधिकारी होते थे वे हड़प कर जाते थे । असल में जिस किसी हरिजन के लिए हम यह रखते हैं वहां तक वे पहुंचते नहीं । जहां तक एम० बी० बी० एस० और इंजीनियरिंग में सीटों का सवाल है यह सीटें भी एम० एल० ए०, आई० ए० एस० अधिकारियों के बच्चों को अलाट होती थी । लेकिन गरीब जूते बनाने वाले, हरिजनों तथा लैंडलेस लेबरर्ज के पास यह नहीं पहुंचती थी । उनको यह कहा जाता था कि तुम्हारे नम्बर कम हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि नम्बर कम क्यों न हों । एक आदमी के पास दो वक्त की रोटी नहीं है और एक आदमी एक तरफ आई० ए० एस० अधिकारी है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है सब तरह की ट्यूशन उसके पास है, सुविधाएं हैं । इस तरह से उस गरीब को नरज अंदाज किया जाता है । हरिजन कम्युनिटीज में ही मुकाबला है । उसे यह कहा जाता है कि तुम्हारे कम्पीटीशन में दूसरे हरिजन ज्यादा नम्बर ले कर आया है । वह नम्बर इसलिए ज्यादा ले कर आता है क्योंकि वह वेल-टू-डू फैमली से है, उसके पास रिसोर्सेज हैं । गवर्नमेंट को सिर्फ इस तरह से

कानून पास करने से, रिजर्वेशन की मियाद बढ़ाने से नहीं बल्कि प्रेक्टिकली एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से प्रेक्टिकल स्टेप्स उनके जहन में हैं जिनसे यह सारी पुरानी बुराइयां खत्म हो जाएं और हरिजनों में से रियली जो डिजर्व करते हैं उन लोगों तक यह चीज पहुंचे। अब गरीब हरिजनों को खाते पीते घराने के हरिजनों से बचाना है। अगर कोई असेम्बली का चुनाव लड़ेगा तो पैसे वाला लड़ेगा। वही पैसे वाला हरिजन जब एम० एल० ए०, एम० पी० बन जाता है तो उसके रिसोर्सेज ज्यादा बढ़ जाते है। हमें यह उन लोगों के हाथों से छीन कर कानून के अन्दर ऐसे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे कि हकीकत में जो नीडी लोग हैं उन तक सारे कनसेशन पहुंचें। इस चीज की आज अहम जरूरत है और ऐसे कई तबके हैं जिनको यह शिकायत है। जहां तक सर्विसेज का सवाल है माइनारिटी कम्युनिटी के लोगों की फिगर्स सभी डिपार्टमेंट्स में नेग्लीजीबल हैं। मैं उनके रिजर्वेशन की हिमायत तो नहीं करता लेकिन उनके बारे में भी गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि यह आपका इम्तिहान है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइंट आफ व्यू से कानूनी तौर पर किस तरह की तबदीलियां करने के बाद क्या रिफार्म्स करना चाहते हैं जिससे इन तमाम कम्युनिटीज में जो हार्ट बर्निंग की शिकायत हैं, दूर हो। इसको हल करने के लिए कोई खास प्लान होना चाहिए, जिसमें आपको अपोजीशन को पूरा समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा और हर पार्टी इस काम में हिमायत करेगी। यह कुछ मालूमात थी जो मैं इस बिल पर गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की तरफ से तथा अपनी ओर से पुरजोर हिमायत करता हूं। लेकिन इस हिमायत के साथ-साथ गवर्नमेंट से फिर दरख्वास्त करता हूं कि वह ऐसे रेडीकल चेंजेज लाए, रिवोल्यूशनरी स्टेप्स उठावे जिससे आगे के लिए इस किस्म के वीकर सेक्शंस की कोई शिकायत न बचे। हमारे हर शहर के अन्दर सब नागरिक आनरेबल सिटीजंस के तौर पर इस मुल्क में जिन्दगी बसर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसकी हिमायत करता हूं।

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Mr. Deputy Chairman, Sir, the Bill, of course is too simple and there is only one course open to us, and that is to support it. But, Sir, you know this provision in the Constitution was there and from time to time the period of reservation of seats for these people in the legislatures has been extended. It has to be extended. There is no other go for us. But should we not see in retrospect a little and find out why it has so come about. We are required to extend it from time to time though, the founding fathers wanted to end this provision within a stipulated time. Now when this provision was put in the Constitution, it was intended that by a particular time, the social and economic condition of this category of people who are called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be bettered and if by that time they come to a better state then there would be no need for having a permanent provision in the Constitution. But the rulers who came to work the Constitution and implement this benefit given to these people behaved so well that today it is the third or the fourth time that we have been asked to extend the provision. It is now from 30 years to 40 years. And again, if Parliament

[Shri Lakshmana Mahapatro]

is at all there and Parliament has the powers to amend laws—1 do not know if such a Parliament will be there—at the end of the year 1990, you will/ find another amendment coming and you will make it 50 years or something like that. Therefore, this sort of thing is certainly not a matter of pride for the people who have been in office as the ruling party. They should hang their heads in shame. They were not sincere. They should clearly confess here on the floor of the House. They should tell the nation that they have not been able to do anything and they are not prepared to do anything. It is an established fact. Is there any proof required for that? And who are responsible for that? Whether it is of this brand or that brand, the bourgeoisie, the rich class that has been ruling this country from the day the Constitution came into force has been behaving that way for their own interests. This untouchability is an incidence of feudalism and it had to continue to remain there because the feudal lords were succeeded by the industrialist and the bourgeois class. They wanted them to continue to remain in that condition ' so that they could exploit them. But every time beautiful speeches are made by the hon. Minister who pilots the Bill and many Members even from those classes for whose benefit that law is being made, speak very fine words in support of the Bill. But what is the ultimate result? Everytime the census is taken, it is j seen that the number or the percentage of these jpteolple who are essentially and primarily agricultural labourers, is increasing. Everyday a person who had a few acres of land is turning a landless labourer and he is bound to go to some feudal chief and get employment there because the limited scope of Government employment does not permit him to go and knock at the doors of Government offices. The Government have made so many laws for their entry into common places of eating and worshipping. The civil disabilities Act is there. So many things are there. But have they been of any avail? Is it not true that people who fight for them are sent to jail? Is it not true that the Congress rule in our State, where they wanted to implement this law, was responsible for our going to jail when we fought for these people? Shall I give you an instance? It is these officers who are there either as police officers or as magistrates , who are responsible. They may be also of that class. This is exactly what I want to underline. The legislators are there; they are' also of that clan. Yet they behave so badly. I know of a particular hon. Member whose name 1 should rot take; he was in Parliament and he was a Minister of my State. When the question of entry into a hotel by Hari-jans was being fought by me, he, a Congress leader and other people of my State and my district stood against me and sent my people and others to jail because we were fighting for the entry of Harijans into a hotel only to get a cup of tea. This is how you have been behaving. You talked such fine things today. But you are not interested in doing it. You are not prepared to do it. You are not only insincere but you are also interested in seeing that these, things continue in this fashion so that your game of exploitation may continue, as Mr. Yashpal Kapoor said at my place. It is something revealing. I may read to you a news item that has come in the *Patriot* today. Mr. Yashpal Kapoor goes to my State of Orissa and at Bhubanes-war he meets correspondents. You know, my- State of Orissa is a State with a great tribal population. In the result we have about 60 Members from Scheduled Casete$_a$ an* scheduled Tribes in a House of 147. And ^^w is the reservation available to them being used? Mr. Yashpal Kapoor has put it this way. I shall read it out. I take strong oto-

Kapoor used. I feel it is a contempt of every legislator and I think every legislator should take a strong objection to such language and such contemptuous statements of people like Mr. Yashpal Kapoor. . .

SOME HON. MEMBERS: Read out his statement.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: I am reading out, this is what he said: "Referring to the comments of Mr. Patnaik ... he said, At the moment we are dealing with legislators as priority commodities to change Governments". Therefore, Sir, legislators are being used as commodities. This is therefore the reason why you are extending the period of reservation. If you are extending the period of reservation for legislators, it is only for using them as commodities. . .

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Sir, what is this interruption? Is she making a speech?

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : अब मुझे आपको याद दिलाना है कि लास्ट गवर्नमेंट में श्री मोरारजी देसाई ने शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में जो शोर मचा रहे थे, कुछ किया है... *{Interruptions)* आप उस वक्त कहां थे ?

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: Now you are quoting Mr. Yashpal Kapoor from a paper and from something which he said in a State.

I.would like to ask you where you were at that time when Mr. Morarji Desai said. . .

श्रीमती सरोज खापर्डे : आपने जो कुछ किया है, क्या वह मुझे पूछ कर किया था ..... *(Interruptions)*

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Sir, you prevent her from talking. I cannot answer a Merhber like this. My business is not to answer a Member. My business is to address the Chair. Therefore, J fully sympathise with Mrs. Khaparde that she was raising very important matters. At that time I was also in the House and I never said that it was bad. Rather on many an occasion I supported these moves. Probably she has forgotten all that. She is entitled *to* forget because she has changed into the ruling party. Therefore, she can do that. But she should not feel hurt if a member of her party behaves in this way and I quote it, and it is my business to quote. I have a right to do it and I have a right to lay bare the acts of such people who in the nanie of being members of the ruling party can have the check to say that legislators should be treated as commodities. That is what I wanted to tell you and in that context I think you should join me. Simply because it is your party's man, you should not behave in this way and defend him ______

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: I am not defending anybody....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mahapatro, please wind up now.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Wind up?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, your party has ten minutes and you have consumed all that time. Different parties have different times. After all, you have to speak in proportion to your party'g strength. Now the ten minutes are over. . .

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Ten minutes including the interruption of Mrs. Khaparde? (Interruption). Sir, I was telling you these classes, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, are oppressed both ways, economically and socially. And it is thia economic oppression which you cannot think of removing. Even in social oppression there are umpteen instances of which we had a taste during the Janata rule, so many people burnt alive, so many people made landless, go many-people beheaded in bioad day liglrt.

[Shri Lakshmana Mahapatro]

and even the rules made and the orders issued to the effect that District Collectors and District Magistrates would be responsible for one single instance happening in their districts were all of no avail. That we know. All this is again proof of the fact that there was no sincerity of purpose. Therefore what I want to suggest is it is not that difficult if we are interested to bring them on a level, at least give them a chance of rubbing shoulders with us as members of the same society. It is not difficult, but we do not have the heart to do it. That is how I feel. The Government of India is giving licences to industrialists intending to open factories. Is it not possible for you to ask them to reserve some posts in their factories for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates? Now what happens is that even when -hey are provided employment, they are not taken as regular workers. They are all made contract labourers. The present tactics of these industrialists are to have more and more contract labourers so as to exploit them to the maximum. Therefore, if you are really serious, should you not ask them to employ a particular percentage of these people in their factories? What you should first do is to make them economically better because they -will automatically become socially also better and people will then come forward to have even marital relations with these people. That we know. If they could be made economically better, they will be free from the social oppression. But you should have the will to do this and that will you do not have, I am sure.

Shri Bhola Paswan Shastri was saying how in Kerala and West Bengal this feature is not very common. There the social oppression is not much and they are not treated as untouchables. It is not there in these two Statea because you have the Marxist Governments there. The Communists create that social awareness among these people. If you try to emulate their ways, it will be better for you. You will definitely see that in the days to come the Marxists will make efforts to see that their exploitation is ended and along with that the caste barrier also will be done away with. I hope you will not put hurdles in their way. They will see to it that this stigma is removed for ever.

This BUI deals with reservation for legislators. For this purpose a particular caste is to be listed in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order under the Constitution. And that Order is amended from time to time. It is so badly amended that sometimes one feels that we have lost our heads in listing and delisting these castes in this Order. In the State of Orissa, for instance, fishermen are having marital relations with the fishermen of West Bengal. But in West Bengal fishermen are Scheduled Castes whereas they are not Scheduled Castes in my State. Therefore, if you do not correctly amend this Order, it is meaningless. In my State a Khond is a Scheduled Tribe whereas in the neighbouring State of Andhra Pradesh he is not and they are having marital relations. Therefore, this kind of amending the Order is improper and illegal. This must be done away with. Because of omission of some castes in the Order m some States, the deserving people belonging to that caste do not get the educational facilities and reservation facilities which are otherwise open to them under thg limited laws and rules you have made. These are thingg which should be attended to. Now everybody is talking of Shrimati Indira Gandhi. People have so much love for her. But please have some love for these poor people also. Now they are going to get this facility for ten years more. Besides this, do

something for them. Let us see whether you will do it. We will wait and see.

REFERENCE TO THE REPORTED ARREST OF SHRI ROMESH CHANDRA, PRESIDENT, WORLD PEACE COUNCIL, AT LONDON AIRPORT

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I consider it my duty to invite the attention of the House to a very important event that has come *to* our notice. We have received a telephone call from London saying that one prominent Indian citizen, Shri Romesh Chandra, President, World Peace Council, has been arrested at London Airport and detained there. He was coming from Vienna to attend some British Ppace Council meeting and he has been arrested there and detained. He is not allowed to meet anybody. Even the Labour Party people wanted to contact him. We have got a telephone from such source. It is not from a Labour Party man. He is not even allowed to talk to anybody. Therefore, I ask Mr. Pranab Mukherjee to please take up the matter immediately. All necessary steps should be taken. The matter, I understand, has been brought to the notice of the External Affairs Minister; but I am not quite sure. He is not here in this House or in the other House, I found. 1 think that it ig a serious matter. He JS not only a prominent man, but he is the President of the World Peace Council. Everybody knows him—one of the prominent Indians abroad. And look at the manner in which they behave; he is not even allowed to talk to anybody. That is what we have been informed from London. I hope the Prime Minister and the External Affairs Minister should immediately take up this matter through proper agencies, and see that ne has his freedom and liberty in this matter. I do not know under what authority and law the airport authorities have acted. This scandalous, anyway. They are behaving like this and yet sending Lord Carrington here to talk to them. This is all I can say. I have to bring it to the notice of the House. In fact, it i3 not a controversial matter. All of us would like to be apprised of the situation and seized of the matter. I am sure the Government of India at the highest level would move. In fact, Mrs. Thatcher should be told on the telephone on behalf of the Prime Minister that the Indian Government protests against such action, and Shri Romesh Chandra should be set free.

Will you like to say something, Mr. Mukherjee?

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB MUKHERJEE); You have just informed the House, and I have also heard from you. Let me check up.

SHRI P. RAMAMURTI: That is good—checking up. I have given you the information.

SHRI P. RAMAMURTI (Tamil Nadu): It is a serious matter It is a question of taking it up.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The matter may be serious. But it has just been brought to our notice. Now I am taking it up.

SHRI P. RAMAMURTI: That is right; Take it up, not check up. . .

(Interruptions)

THE CONSTITUTION (FORTY-FEPTH AMENDMENT) BELL, 1980 contd.

SHRIMATI SATHIAVANI MUTHU (Tamil Nadu); Few sections of this House will have any hesitation in welcoming the Constitution (Forty-fifth) Amendment Bill. It is a tragic fact of Indian history that millions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people have been kept under social, political and economic sub-